न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–293/2019
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम अंजनी कुमार झा

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
14/8/2020	**आदेश** प्रस्तुत उत्पाद अधिहरण वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–991/म0नि0को0 दिनांक–11.10.2019 से प्राप्त मनीगाछी थाना कांड सं0–103/19 दिनांक 25.05.2019 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन स्कॉर्पियो रजि0 नं0–BR32E-2010 को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में विपक्षी वाहन स्वामी बबलु यादव की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–2896/2020 बबलु यादव बनाम बिहार सरकार दायर रहने की सूचना के साथ इस वाद को स्थगित रखने हेतु आवेदन दाखिल किया गया। इसी क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–2896/2020 में दिनांक 08.07.2020 को पारित आदेश के साथ कारण पृच्छा दाखिल किया गया, जो अभिलेख पर संधारित है। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल को रात्रि गश्ती के क्रम में मिली गुप्त सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग के दौरान उक्त स्कॉर्पियो रजि0 नं0–BR32E-2010 को रोकने का इशारा किया गया, परन्तु वाहन चालक द्वारा तेजी से वाहन को भगाने लगा। आगे दहौड़ा रेलवे गुम्ती बंद रहने के कारण वाहन को पीछे कर भागने का प्रयास किया परन्तु पुलिस गाड़ी पीछे पहुँच जाने के कारण पुलिस गाड़ी में धक्का मारकर भागने का प्रयास किया गया। भागने के क्रम में उक्त स्कॉर्पियो के गड्ढा में फँस जाने के कारण उस पर सवार व्यक्ति वाहन से निकल कर शस्त्र फायरिंग करते हुए भागने लगा पुलिस बल एवं स्थानीय लोगों द्वारा पकड़ने का प्रयास किया गया परन्तु वे लोग भागने में सफल रहे। तत्पश्चात उक्त वाहन को विधिवत दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष तलाशी लिया गया। तलाशी के क्रम में उक्त वाहन से रॉयल स्टैग कम्पनी का 375 एम0एल0 का 342 बोतल शराब एवं एक पिस्टल तथा अन्य सामग्री बरामद हुआ जिसे विधिवत जब्त किया गया। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार एवं परिवहन प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त वाहन का राज्यसात् होना चाहिये। विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि उक्त जब्त वाहन के विमुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या– 2896/2020 दायर किया गया था जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 08.07.2020 को पारित आदेश के आलोक में वाहन के विमुक्ति हेतु उपस्थित हैं। यह भी कथन है कि जब्त शराब	

एवं अन्य सामग्री से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका शराब के व्यापार से कोई मतलब नहीं है। उन्हें जब भी वाहन को प्रस्तुत करने हेतु आदेश होगा वे प्रस्तुत करेगें। अत माननीय उच्च न्यायाल के आदेश के आलोक में वाहन को विमुक्त करने की कृपा की जाय।

उभयपक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाहन स्कॉर्पियो रजि0 नं0–BR32E-2010 से 375 एम0एल0 का 342 बोतल शराब एवं एक पिस्टल तथा अन्य सामग्री बरामद हुआ जिसे विधिवत जब्त किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है।

विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि उक्त शराब से उनका कोई सरोकार नहीं है। जबकि प्राथमिकी में भागने वाले अभियुक्त में वाहन स्वामी का भी नाम अंकित है। विपक्षी की ओर से अपने दावे के समर्थन में अन्य कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया। यदि विपक्षी के वाहन का दुरूपयोग चालक अथवा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया है तो वे उस पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत सबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में मनीगाछी थाना कांड सं0–103/19 दिनांक 25.05.2019 में जब्त वाहन स्कॉर्पियो रजि0 नं0–BR32E-2010 को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या– 2896/2020 में दिनांक 08.07.2020 को पारित आदेश के आलोक में इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा